

उत्तर प्रदेश शासन  
पशुधन अनुभाग-1  
संख्या-50/2017/1906/37-1-2017-3(27)/2014  
लखनऊ: दिनांक: 05 सितम्बर, 2017  
**कार्यालय-आदेश**

डा० धनपाल सिंह सहगल, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, विकास खण्ड तिलहर के विरुद्ध जनपद-शाहजहांपुर में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण के प्रकरण में पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ऋण समायोजन के बाद की तिथि में निर्गत किये जाने आदि आरोपों के लिये कार्यालय आदेश संख्या-1563/37-1-2017-3(27)/2014, दिनांक 28.07.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है।

2- उक्त जांच के संचालनार्थ डा० ए०एन० सिंह निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, ३०प्र० को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

डा० सुधीर एम० बोबडे  
प्रमुख सचिव

**संख्या- 50/2017/1906 (1)/37-1-2017, तददिनांक,**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- डा० ए०एन० सिंह निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ/जांच अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि डा० धनपाल सिंह सहगल, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, विकास खण्ड तिलहर के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप-पत्र गठित कर शासन को तत्काल उपलब्ध करायें तथा नियमानुसार जांच पूर्ण कर आख्या ०१ माह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- संबंधित अधिकारी, द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

4- गाड़ फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)  
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in